



राजस्थान राजपत्र

Regd. No. R.J. 2539
RAJASTHAN GAZETTE

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 12, गुरुवार, शके 1913—जनवरी 2, 1992
Pousa 12, Thursday, Saka 1913—January 2, 1992

भाग 4 (न)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य प्रादेशिक उपविधियों) भावि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 19, 1991

जी. एन. प्रार. 82 :—राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 (1974 का राजस्थान अधिनियम संख्या-5) की धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा राजस्थान तेन्दूपत्ता (व्यापार का विनियमन) नियम, 1974 जिमके संशोधित नियम, राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) (संशोधित) नियम, 1983 जो इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 14 फरवरी, 1984 द्वारा राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4 (ग) उप-खण्ड (I) दिनांक 22 फरवरी, 1984 में प्रकाशित हुये उसके क्र. सं. 9 में वर्णित नियम 11 में निम्नानुसार संशोधन करती है:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) (संशोधन) नियम, 1991 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम-11 का संशोधन:—(1) पूर्व की अधिसूचना संख्या 10 (38) राज-8182 जो राजस्थान राज-पत्र विशेषांक के भाग 4 (ग) उप-खण्ड (I) दिनांक 22 फरवरी 1984 में प्रकाशित नियम 11 को कोष्ठक "(11)" में शक्ति किया है के कोष्ठक को समाप्त किया जाता है। उसे नियम "11" पढ़ा जावे।

(2) नियम-11 के उप-नियम (4) को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है:—

11. (4) "यह निविदा प्रपत्र (तेन्दू पत्ता क्रम हेतु) संबंधित वन संरक्षकामण्डल वन अधिकारी के कार्यालय से प्रत्येक प्रपत्र के नियम 301-ह की देनगी पर प्राप्त होगा। यह देनगी वन विभाग द्वारा कृपा स्वीकार करने की मान्यता प्राप्त तरीकों में से किसी के अनुसार की जायेगी।"

[संख्या एफ. 10 (38) वन।89]

राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र प्रकाश,

शासन सचिव।
